भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2572
सोमवार, 16 मार्च, 2026 (25 फाल्गुन, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

नागरिक उड्डयन सुरक्षा रिपोर्टिंग में भंडाफोड़ कर्ता संरक्षण ढांचे की स्थिति

2572. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा की समग्र समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट में की गयी समुक्ति की जांच की है कि व्यक्तिगत वायु यातायात नियंत्रण अधिकारियों (एटीसीओ) पर 25 लाख रुपये तक का जुर्माना प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और स्वैच्छिक त्रुटि रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करता है;

(ख) क्या सुरक्षा संबंधी चूक की रिपोर्ट करने वाले विमानन कर्मियों के लिए पर्याप्त कानूनी संरक्षण मौजूद है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे दंडात्मक प्रावधानों की समीक्षा करने और भंडाफोड़ कर्ता संरक्षण ढांचा स्थापित करने के लिए समिति की सिफारिश को स्वीकार किया है; और

(घ) इस क्षेत्र में दंडात्मक कार्रवाई के भय से, सुरक्षा संबंधी खुलासे न दबा दिए जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने वायुयान नियमावली, 1937 के नियम-29च के तहत स्वैच्छिक संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली (वीएसआरएस) की स्थापना की है और संरक्षा सूचना के संरक्षण संबंधी नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) व वायु संरक्षा परिपत्रों के माध्यम से तथा स्वैच्छिक संरक्षा रिपोर्टों को दायर करके इन प्रावधानों का भावी क्रियान्वयन किया गया है।

वैमानिक सूचना परिपत्र (एआईसी) 16/2021 के अनुसार, स्वैच्छिक संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली गैर-दंडात्मक होगी और सूचना के स्रोतों को सुरक्षा प्रदान करेगी। एकत्रित जानकारी को इस तरह से हैंडल किया जाएगा कि सुरक्षा के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को रोका जा सके, और इसे उचित रूप से संरक्षित रखा जाएगा और रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान के संबंध में गोपनीयता बनाई रखी जाएगी।

******